न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 113/2019

दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री भोपालराम सैनी निवासी अजीत हॉस्पिटल के पीछे तीज्योवाला बांध के पास वार्ड नम्बर 12 खेतड़ी।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 24.07.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.06.**2019** को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर **113/2019** पर दिनांक **25.06.2019** को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी से इस कार्यालय के पत्रांक **पाठक/2019/903—04** दिनांक **01.07.2019** द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी ने पत्रांक **पी.ए./सू.अ.अ.(8)/19/588** दिनांक

   11.07.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 17.05.2019 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक चुनाव/सू.अ.अ.(08)/19/881—882 दिनांक 17.05.2019 द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक को जबाब प्रेषित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.07.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सूचना नहीं मिलना जाहिर किया तथा वांछित सूचना दिलवाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 17.05.2019 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र कमांक चुनाव/सू.अ.अ.(08)/19/881—882 दिनांक 17.05.2019 द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक को जबाब प्रेषित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नियमों/कानून की जानकारी दिये जाने बाबत होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपेक्षित नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक **24.07.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनू

(रवि जैन)

जिला कलक्टर, झुंझुनू